FORM -21C

(See rule 64)

(for use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan (State)from 127-SARDARPURA Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961

I declare that -

Sh. ASHOK GEHLOT

(Name)

Daron Ka Bass, Mahamandir, Jodhpur, 342010

(Address)

sponsored by Indian National Congress (Name of recognized/ registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place Jodhpur Date 11/12/2018

(Mahipal Kumar) Returning Officer Legislative Assembly 127-Sardarpura (Additional Collector and Additional District Magistrate (II), Jodhpur)

> (महिवास क्यार) रिटर्निंग अधिकारी कि. सचा क्षेत्र सरकायुरा (127) जोअपुर

प्ररूप 21ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग कें लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

127-सरदारपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान(राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मै घोषणा करता हूँ कि—

श्री अशोक गहलोत (नाम)

दडो का बास, महामन्दिर, जोधपुर 342010 (पता)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्टर्ड राजनैतिक दल का नाम)उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान : जोधपुर

तारीख: 11.12.2018

(महिपाल क्मार) रिटर्निंग ऑफिसर 127-सरदारपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय), जोधपुर)

> (मडिशाल क्षुमार) रिटर्निम अविकारी वि. सभा क्षेत्र समकारपुरा (127) क्षेत्रकुर